विशेष अभियान

संख्याः 45/2016/2288/33-3-2016/110/2012

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र०शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 02 सितम्बर, 2016

विषयः स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों में प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान चलाकर शौचालय निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 2 अक्टूबर, 2019 तक सम्पूर्ण देश को खुले में शौच से मुक्त कराये जाने का लक्ष्य पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अंतर्गत एक तरफ जहाँ विभिन्न जनपदों में सी०एल०टी०एस० विधा के माध्यम से गांवों में समुदाय के बीच ट्रिगरिंग कर शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। वही उपरोक्त प्रयासों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों में (जो वास्तव में चलने फिरने में असमर्थ हों को प्राथमिकता के आधार पर) निर्धारित समयावधि का विशेष अभियान चलाकर शौचालय निर्माण का कार्य कराया जाये। यह भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में भी प्रावधानित है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों में शौचालय निर्माण हेतु एक निर्धारित समय का विशेष अभियान चलाकर विकलांग कल्याण विभाग को निम्नानुसार निर्देशित कर दें। सर्वप्रथम जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर कण्ट्रोल रूम का टेलिफोन न० प्रचार प्रसार कर सार्वजानिक कर दें। विकलांग कल्याण विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांगों की सूची उनके खाते के विवरण सहित प्राप्त कर उसका परीक्षण एवं मिलान बेस लाइन सर्वे की सूची के प्रिंटआउट से कर लें। प्राथमिकता के आधार पर सभी दृष्टिबाधित एवं चलन क्रिया में असमर्थ शौचालय विहीन लाभार्थियों के परिवारों में शौचालय बनाया जाये। ऐसे व्यक्तियों को शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र जारी कर दिए जाएँ एवं स्वीकृति पत्र में ही यह जानकारी भी लिख दी जाये कि विशेष अभियान के अंतर्गत आपको यह स्वीकृति पत्र इस आशय से जारी किया गया है कि आप जैसे ही शौचालय का निर्माण करवाकर कन्ट्रोल रूम में लगे फोन पर सूचित करेंगे साथ ही शौचालय की फोटो व्हाट्सएप पर प्रेषित करेंगे कि लाभार्थी द्वारा शौचालय का निर्माण करवा लिया गया है उसके तीन दिवसों के अन्दर सत्यापन करवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

SearchBharatiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

लिया जायेगा सत्यापन होने के 24 घंटों के अन्दर धनराशि आपके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। स्वीकृति पत्र के साथ व्यक्तिगत शौचालय की डिजाइन भी संलग्न की जाये साथ ही स्वीकृति पत्र जारी होन के एक माह के अन्दर शौचालय निर्माण की समयावधि भी निर्धारित कर दी जाये। निर्माण होने के पश्चात् शौचालय की फोटो व्हाट्सएप पर मंगा ली जाये निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें-

क्र०	गतिविधियाँ	तिथि	उत्तरदायी विभाग
1	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में फोन न० सहित कंट्रोल रूम की स्थापना	01-05 सितम्बर, 2016	पंचायतीराज
2	दिव्यांग लाभार्थियों की सूची खाता संख्या सहित विकलांग कल्याण विभाग से प्राप्त कर ले	01-05 सितम्बर, 2016	पंचायतीराज
3	उनका सत्यापन कर भारत सरकार की वेबसाइट पर अपडेट कर लें	05-10 सितम्बर 2016	खण्ड विकास अधिकारी
4	चिन्हित लाभार्थी को स्वीकृत पत्र जारी कर लाभार्थी से रिसीविंग मोबाइल न0 एवं खाता विवरण सहित प्राप्त कर लें	10-15 सितम्बर, 2016	पंचायतीराज
5	शौचालय का निर्माण	15 सितम्बर से 14 अक्टूबर, 2016	दिव्यांग लाभार्थी
6	शौचालय निर्माण की सूचना हेल्प लाइन, मोबाइल अथवा टोल फ्री न0 से प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर सत्यापन करवा लें	नियमित जारी रहेगा	समस्त विकास खंड स्तरीय अधिकारी
7	सत्यापन के पश्चात 24 घंटे के अन्दर धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करवा दें	नियमित जारी रहेगा	पंचायतीराज

इससे एक ओर आपके जनपद में शौचालय निर्माण की प्रगति बढेगी और साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त होगा। यदि जिला स्वच्छता प्रबंधन समिति चाहे तो धनराशि की एक किश्त पूर्व में ही दे सकती है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2- निजी सचिव मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasnadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

4- सचिव, विकलांग कल्याण उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0।

5- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ०प्र०शासन।

6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।

7- समस्त उप निदेशक (पं०), उ०प्र०।

8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र० को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।

आज्ञा से

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।